न्यायालय सिविल न्यायाधीश, भवानीमंडी जिला झालावाड. (राज.)
पीठासीन अधिकारी—श्रीमति रचना वैष्णव (आर.जे.एस)
दीवानी वाद संख्या—02/2018

01—कला बाई पत्नी सुन्दरलाल, उम्र—41 साल, जाति कुल्मी, निवासी बोलिया बुजुर्ग, पुलिस थाना सुनेल, जिला—झालावाड (राज.),
02—राजु पुत्र सुन्दरलाल, उम्र—19 साल, जाति कुल्मी, निवासी बोलिया बुजुर्ग, पुलिस थाना सुनेल, जिला—झालावाड (राज.),
03—साधना, उम्र—17 साल, जरिये वली माता कला बाई पत्नी सुन्दरलाल, उम्र—41 साल, जाति कुल्मी, निवासी बोलिया बुजुर्ग, पुलिस थाना सुनेल, जिला—झालावाड (राज.)।

.....वादीगण

बनाम

जन सामान्य

.......प्रतिवादी

दावा बाबत घोषनात्मक डिक्री हेतु

उपस्थित —
01— श्री हरीश खण्डेलवाल, विद्वान अधिवक्ता, वादीगण की ओर से ,
02— प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय **दिनांकः—07.01.2020**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद दिनांक 28.10.2017 को विरूद्व प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण सुन्दरलाल पुत्र बाला, जाति कुल्मी, निवासी बोलिया बुजुर्ग की पत्नी, पुत्र व पुत्री हैं। वादीगण सुन्दरलाल के एक मात्र कूननी वारिसान एंव कायम मुकामान है। वादीगण के पिता/पति सुन्दरलाल 11 वर्ष पूर्व मोजा भवानीमण्डी में कृषि उपज मण्डी में फसल बैचने आये थे, तब से लापता है। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना भवानीमण्डी में की थी, किन्तु उसकी कोई प्रति वादीगण के पास नहीं है। सुन्दरलाल के जीवित अथवा मृत होने का पता नहीं है और न ही उनके द्वारा काई खबर ही भेजी है। ऐसी स्थिति में उनके जीवित होने की आशा समाप्त हो चुकी है व उनकी मृत्यु की कानूनन अवधारणा स्वभाविक है। वादीगण के पति/पिता के नाम शामलाती कृषि भूमि है, जिसके खाता संख्या—134 नया व पुराना 101 रकबा 90 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर—201 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर—232 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर—233 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर—262 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर—293 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर—293/1129 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर—299 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर—300 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर—305 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर—631 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर—633 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर—1059 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर—1065 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा

कुल–16 किला रकबा 65 बीघा 12 बिस्वा आराजी वाके ग्राम बोलिया बुजुर्ग की जमाबंदी सम्वत् 2069/2072 में स्थित है, जो कि वादीगण के पति/पिता की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें से वादीगण के पति/पिता का 1/3 हिस्सा निहित है। वादीगण के पति/पिता की मृत्यु की घोषणा नहीं होने के कारण उनके हक एंव हिस्से पर वादीगण का इंतकाल नहीं खुलने के कारण वादीगण को खेती–बाडी करने में, किसान कार्ड जारी करवाने के लिये मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी पैदा हो रही है। सुन्दरलाल को पिछले 11 वर्षो के दौरान जब से वे गुमशुदा हुए है, किसी ने उनको नहीं देखा है और न ही किसी व्यक्ति ने उनके बारे में कोई बात सुनी है। ऐसी स्थिति में 11 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् कानूनन गुमशुदा होने वाले व्यक्ति को मृतक मान लिया जाता है। अंत में वादीगण के पति/पिता सुन्दरलाल की मृत्यु होने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादीगण की तामील समाचार पत्र में साया करने के उपरान्त भी जन सामान्य की ओर से किसी के भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 10.09.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के तौर पर पी.ड.–1 कला बाई, पी.ड.–2 साधना, पी.ड.–3 राजू, पी.ड.–4 कैलाशचंद राठौर, पी.ड.–5 सीताराम को पेश का परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजात में जमाबंदी को प्रदर्श–1, आधार कार्ड राजू को प्रदर्श–2ए, आधार कार्ड कैलाशचंद राठौर को प्र.पी–3ए, आधार कार्ड सीताराम को प्रदर्श–4ए पेश कर प्रदर्शित करवाया गया। प्रतिवादी जनसामान्य के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

1. आया वादीगण अपने पति/पिता सुन्दरलाल पुत्र बाला जाति कुल्मी निवासी बोलिया बुर्जुग थाना सुनेल जिला झालावाड के संबंध में गत 7 वर्षों से अधिक समय से जीवित होने के बारे में न सुना गया है, के आधार पर सुन्दरलाल कुल्मी की सिविल मृत्यु घोषित करवाने के अधिकारी है।

.... वादीगण

2. अनुतोष।

4. विचारणीय बिन्दु के परिपेक्ष्य मे विद्वान अधिवक्ता वादीगण के तर्कों पर मनन किया गया। वाद में विचारणीय बिन्दु पर निष्कर्ष इस प्रकार है–

1." आया वादीगण अपने पति/पिता सुन्दरलाल पुत्र बाला जाति कुल्मी निवासी बोलिया बुर्जुग थाना सुनेल जिला झालावाड के संबंध में गत 7 वर्षों से

अधिक समय से जीवित होने के बारे में न सुना गया है, के आधार पर सुन्दरलाल की सिविल मृत्यु घोषित की जाकर सक्षम अधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आदेश प्राप्त करने के अधिकारी है।" उक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण की ओर से वादिया पी0ड0—1 कलाबाई पी.ड.—2 साधना, पी.ड.—3 राजू ने सशपथ कथनों में बताया है कि उसका पति / पिता सुन्दरलाल 11 वर्ष पूर्व भवानीमण्डी कृषि उपज मण्डी मे फसल बेचने आये थे तब से लापता है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना भवानीमण्डी मे की थी। परन्तु उसकी कोई प्रति वादीगण के पास नही है। वादीगण के पति / पिता श्री सुन्दरलाल का जीवित अथवा मृत होने का कही पता नही चला है ना ही पिछले 11 वर्षो से उन्होने कोई खबर ही भेजी है। परिवार मे जिन्हे उनके जीवित होने की खबर स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी उन रिश्तेदारो को भी सुन्दरलाल ने अपने जीवित होने की सुचना नही भेजी है ऐसी स्थिति मे उनके जीवित होने की आशा समाप्त हो चुकी है। सुन्दरलाल के नाम पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी जमाबंदी प्रदर्श—1 के अनुसार पुश्तैनी शामलाती कृषि भुमि है जिसमे सुन्दरलाल का 1 / 3 हिस्सा निहित है। वादीगण के पति / पिता की मृत्यु की घोषणा नही होने से उनके हक एवं हिस्से पर वादीगण का इंतकाल नही खुलने से वादीगण को किसान कार्ड जारी करवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। वादीगण ने अपने पति / पिता को ढुंढने के लिए अपने रिश्तेदार सगे संबंधियो के यहां काफी प्रयास किया किन्तु पिछले 11 वर्षो से ना ही किसी ने उनको देखा है ना ही किसी व्यक्ति ने उनके बारे मे कोई बात सुनी है। इसी प्रकार वादीगण के पडौसी पी.ड.—4 कैलाशचंद व पी.ड.—5 सीताराम ने भी अपने सशपथ बयानो में यह कथन किया है कि वे सुन्दरलाल के पडौसी है तथा वादीगण उनके पडौस मे ही स्थायी रूप से बोलिया बुर्जुग थाना सुनेल मे निवास करते हुए सुन्दरलाल के एक मात्र कानूनी वारिसान एवं कायम मुकामान है। सुन्दरलाल 11 वर्ष पूर्व कृषि उपज मंडी मे फसल बेचने गया था तब से लापता है जिसके जीवित होने की आशा समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत सुन्दरलाल की मृत्यु की उपधारणा करते हुये घोषणात्मक डिक्री जारी करने का निवेदन किया। वादीगण ने अपने समर्थन में नकल जमाबंदी को प्रदर्श—1, आधार कार्ड राजू को प्रदर्श—2ए, आधार कार्ड कैलाशचंद राठौर को प्र.पी—3ए, आधार कार्ड सीताराम को प्रदर्श—4ए पेश कर प्रदर्शित करवाया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के संबंध में संबंधित विधि का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह प्रावधान करती है कि ''जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना

है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है, उस व्यक्ति पर चला जाता है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।'' उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के आलोक में सर्वप्रथम वादीगण को यह तथ्य साबित करना है कि पिछले 7 वर्षों से वादिगण का पति / पिता लापता है तथा सात वर्षों से उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं सुना है जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। इस संबंध में वादीगण द्वारा परीक्षित करवाये गये गवाहान समेत स्वयं वादीगण ने ऐसी कोई तारीख अथवा तिथि अपने दावे में अंकित नहीं की है कि उनका पति / पिता सुन्दरलाल कब से लापता है। इसके अतिरिक्त वादिगण ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उनके पति / पिता सुन्दरलाल को ढूंढ़ने के लिये उसके रिश्तेदार, सगे संबंधियों के यहां काफी प्रयास किया परन्तु ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य अपने कथनों के समर्थन में वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह दर्शित होता हो कि उन्होंने सुन्दरलाल को ढूढने के प्रयास किये हों। गवाहान ने यह भी कथन किया है कि 11 वर्षों के दौरान किसी ने सुन्दरलाल को देखा भी नहीं है तथा परिवार वालों व रिश्तेदारों को सुन्दरलाल ने अपने जीवित होने की कोई सूचना नहीं भेजी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–1 के अवलोकन से सुन्दरलाल के दो भाई घ ानश्याम व दुर्गीलाल होना भी प्रकट है जिन्हे भी वादीगण अपने साक्ष्य मे परिक्षित करवा सकते थे। परन्तु वादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसे किसी परिवार वाले या रिश्तेदारों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है।वादीगण अपने बयानों में यह भी कथन करते है कि उनके द्वारा अपने पति / पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना भवानीमण्डी में की थी किन्तु उसकी कोई प्रति वादीगण के पास नहीं है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि जो कोई न्यायालय के समक्ष किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व को प्राख्यात करता है तो उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने का भार प्रख्यात करने वाले व्यक्ति पर होता है तथा वादी कों अपना दावा स्वयं साबित करना होता है परन्तु उक्त तथ्य के संबंध में वादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। दिनांक 28.10.2017 वादसंस्थित किये जाने के पूर्व अपने पति / पिता को ढूंढने का क्या प्रयास वादीगण द्वारा किया गया है, इस संबंध में वादिगण द्वारा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है न ही उसकी तलाश के संबंध में कोई दस्तावेज ही पेश किया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत '' Vijaya Shrikant Revale vs Shirish Shrikant Revale 2016 SCC Online Bom 1898'' मे माननीय

बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांत It is true that only Civil court has power to give relief of declaration of death से न्यायालय भलीभांति सहमत है तथा न्यायिक दृष्टांत ''Narayan Nayak vs State Bank of India And ors. 2002 IIILLJ 1013 Cal'' मे माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांत ''Therefore no suit lies for a declaration that a person not having been heard of for 7 years was deemed to be dead, unless the suitor seeks to establish that he is entitled to any legal character or to any right as to any property. Inasmuch as a suit for declaration can be maintained only within the scope and ambit of section 34 of the Specific Relief Act, 1963. Section 34 does not sanction every form of declaration.'' से भी न्यायालय भलीभांति सहमत है।

जहां तक कि वादीगण द्वारा अपने समर्थन मे पेश किए गये न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है तो ''Balambal vs Kannammal Alias Pazhaniammal'' मे प्रतिपादित सिद्वांत से न्यायालय भलीभांति सहमत है कि धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानानुसार 7 वर्ष से अधिक समय से लापता व्यक्ति की सिविल मृत्यु की उपधारणा मानकर घोषणा करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है परंतु उक्त प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में गुमशुदा व्यक्ति की गुमशुदगी की विनिर्दिष्ट तारीख एवं तिथि को साबित किया गया था साथ ही गुमशुदा व्यक्ति की गुमशुदगी के संबंध में प्रेस के द्वारा वृहत रूप से प्रचार—प्रसार किया गया एवं इस संबंध मे पुलिस को भी रिपोर्ट की गयी थी साथ ही अन्य तथ्य भी व्यक्ति की गुमशुदगी के संबंध में साबित किये गये थे। अर्थात प्रार्थीगण द्वारा जिस व्यक्ति की गुमशुदगी के आधार पर सिविल मृत्यु की घोषणा का अनुतोष चाहा गया था उस गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा किये गये पर्याप्त प्रयासो को प्रार्थीगण द्वारा साबित करवाया गया था परंतु हस्तगत प्रकरण मे वादीगण द्वारा ऐसी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी है जिससे वह यह साबित करने मे सफल रहे हो कि उन्होने सुन्दरलाल को ढुंढने के पर्याप्त प्रयास किये हो। वादीगण ने सुन्दरलाल की गुमशुदगी के संबंध मे कोई रिपोर्ट पुलिस थाने मे करवायी हो अथवा किसी प्रचलित अखबार मे उसकी गुमशुदगी की सुचना प्रकाशित करवायी हो, ऐसी भी कोई सुदृढ दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससे वादीगण यह साबित करने मे असफल रहे है कि सुन्दरलाल तथाकथित 11 वर्षो से लापता रहा हो। साथ ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर जबकि विनिर्दिष्ट

तारीख व तिथि सुन्दरलाल की गुमशुदगी के संबंध मे कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है, सुन्दरलाल के 11 वर्षो से लापता होने की अवधि की गणना भी नही की जा सकती है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतो के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियो से भिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होने से वादीगण की कोई सहायता नही करते है।

5. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में वादीगण अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं कि पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से सुन्दरलाल के जीवित होने के बारे में नहीं सुना गया हो। अतः ऐसी स्थिति में धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत यह उपधारणा करने के पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है कि सुन्दरलाल पिता बाला जाति कुल्मी निवासी बोलिया बुर्जुग जीवित नहीं है। लिहाजा यह विचारणीय बिन्दु वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। अतः उक्तानुसार विचारणीय बिन्दु वादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

अनुतोष

6. चूंकि अवधारणीय बिन्दु वादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णीत किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

आदेश

7. अतः वादीगण का वाद बाबत् घोषणात्मक डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण एतद् द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना स्वयं वहन करेगें। नियमानुसार डिक्री पर्चा मुर्तीब किया जाये।

(रचना वैष्णव)
सिविल न्यायाधीश भवानीमंडी

8. आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया,हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

(रचना वैष्णव)
सिविल न्यायाधीश भवानीमंडी